

वादी अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण आज प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर एवं आई.ए.क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादीगण की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका। फलतः प्रकरण में वादी की उपरोक्त अकारण अनुपस्थिति एवं उसके द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 09 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद